न्यायालयः— रूपेश कुमार साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

———————————————————————————————

Registration No. RCT/65/19
Filling No. RCT/210/2019
CNR No MP19070002632019
Filling Date 07-02-2019

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र जसो, जिला सतना (म0प्र0)

..... **अभियोजन**

—विरूद्ध—

हितेंद्र सिंह परिहार पि ता स्व. सुखेंद्र सिंह परिहार,

आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी—ग्राम अमकुई, थाना जसो, जिला सतना (म0प्र0)

..... **अभियुक्त**

———————————————————————————————

म0प्र0 राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0।
अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

———————————————————————————————

//नि र्ण य//

(आज दिनांक 09 फरवरी, 2019 को घोषित)

1. अभियुक्त के विरूद्ध 34(1) आबकारी अधिनियम के तहत इस आशय के अपराध का आक्षेप है कि दिनांक 03.02.2019 को 17:30 बजे, स्थन अमकुई तालाब के पास देशी प्लेन मदिरा शराब 20 पाव को बिना किसी अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त के द्वारा धारा 294 द0प्र0सं0 का आवेदन प्रस्तुत कर अपराध की स्वीकृति कर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को स्वीकार किया है।

3. अभियोजन कहानी संक्षेप में है कि दिनांक 03.02.19 को देहात भ्रमण के दौरान ए0एस0आई महेंद्र सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की हितेंद्र सिंह अवैध शराब एक पोलीथीन पन्नी में बिक्रय करने हेतु लेकर बैठा है, जिसकी तस्दीक हेतु वे ग्राम अमकुई तालब के पास पहुंचे जहां मौके पर आरोपी

पोलीथीन की पन्नी में 20 पाव मदिरा शराब प्लास्टि की शीशी में रखे पाया गया। उसके पास शराब बिक्रय करने संबंधी कोई कागजात नहीं थे। तब उसने साक्षी धीरेंद्र सिंहएवं अमलेश सिंह के समक्ष जप्ती पत्रक प्र.पी.1 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी को न्यायालय में उपस्थित रहने बावत सूचना दी गयी।उक्त दिनांक को साक्षी धीरेंद्र सिंह एवं अमलेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बाद वापसी थाना आकर आरोपी के विरूद्ध अ.क्र. 20/19 धारा 34 (1) आबकारी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था। उनके द्वारा घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होने ने अपराध अस्वीकार कर विचारण की मांग की है। धारा 313 दं0प्र0सं0 के परीक्षण में अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार करना व्यक्त किया।

5. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न है किः—

> ''क्या अभियुक्त दिनांक 03.02.2019 को 17:30 बजे, स्थन अमकुई तालाब के पास देशी प्लेन मदिरा शराब 20 पाव को बिना किसी अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा?''

//विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष//

6. महेंद्र सिंह (अ0सा0—1) का कहना है कि दिनांक 03.02.19 को देहात भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली की हितेंद्र सिंह अवैध शराब एक पोलीथीन पन्नी में बिक्रय करने हेतु लेकर बैठा है, जिसकी तस्दीक हेतु वे ग्राम अमकुई तालब के पास पहुंचे जहां मौके पर आरोपी पोलीथीन की पन्नी में 20 पाव मदिरा शराब प्लास्टि की शीशी में रखे पाया गया। उसके पास शराब बिक्रय करने संबंधी कोई कागजात नहीं थे। तब उसने साक्षी धीरेंद्र सिंहएवं अमलेश सिंह के समक्ष जप्ती पत्रक प्र.पी.1 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी को न्यायालय में उपस्थित रहने बावत सूचना दी थी जो प्र.पी.2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को साक्षी धीरेंद्र सिंह एवं अमलेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बाद वापसी थाना आकर आरोपी के विरूद्ध अ.क्र. 20/19 धारा 34 (1) आबकारी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था। उनके द्वारा लेखबद्ध की गयी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.3 है जिसके ए

से ए एवं बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है। उनके द्वारा घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.4 बनाया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण अखण्डित होकर स्थिर रहा है।

7. उपरोक्त के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्याय दृष्टांत अजमल कसाब विरूद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 3565 के पैरा 517 लगायत 523 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अपराध विवरण सुनाये जाने के पश्चात यदि अभियुक्तगण द्वारा उक्त अपराध विवरण से यदि अस्वीकार कर दिया गया है, किन्तु पश्चातवर्ती प्रक्रम पर भी यदि अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति की जाती है तो अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है।

8. उपरोक्त के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्याय दृष्टांत महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध सुखदेव सिंह ए.आई.आर. 1992 एस.सी. 2100 भी अवलोकनीय है। पैरा क्रमांक 52 The plea of guilt tantamounts to an admission of all the facts constituting the offence. It is, therefore, essential that before accepting and acting on the plea the Judge must feel satisfied that the accused admits fact i.e. ingradients constituting the offence. The plea of the accused must, therefore be clear, unmbiguous and unqualified and the Court must be satisfied that he has understood the nature of the allegations made against him and admits them. The Court must act with caution and circumspection before accepting and acting on the plea of quilt. Once these requirements are satisfied the law permits the Judge trying the case to record a conviction based on the plea of guilt. If, however, the accused does not plead guilty or the learned Judge does not act on his plea he must fix a date for the examination of the witnesses, i.e. the trial of the case. There is nothing in this Chapter which prevents the accused from pleading guilty at any subsequent stage of the trial. But before the trial Judge accepts and acts on that plea he must administer the same caution unto himself. This plea of guilt may also be put forward by the accused in his statement recorded under section 313 of the code.

9. अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छया बिना किसी डर–दबाव के अपराध स्वीकार करने के पश्चात् साक्ष्य की विवेचना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त द्वारा स्वैच्छया लिखित एवं मौखिक स्वीकारोक्ति एवं दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि अभियुक्त द्वारा स्वैच्छया एवं बिना किसी डर–दबाव के अपराध की संस्वीकृति की गई है। अतः अभियुक्त को 34(1)(क) आबाकारी अधिनियम के अंतर्गत दोष सिद्ध पाया जाता है।

10. दोषी के द्वारा यह निवेदन किया गया कि उसे परिवीक्षा का लाभ देकर मुक्त किया जावे, किन्तु अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त निवेदन का विरोध किया गया। अतः सुधारात्मक दंडावेश दिया जाना आवश्यक है। इस स्थिति को देखते हुए अपराधी परीवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 3,4 एवं 6 का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

11. प्रकरण की परिस्थितियों एवं गंभीरता को देखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टान्त थिप्पे स्वामी बनाम कर्नाटक

राज्य ए.आई.आर. 1985 एस.सी.747 में यह निर्धारित किया गया है कि जहां अभियुक्त उचित प्रतिरक्षा करने के स्थान पर दोषी होने का अभिवचन् करता है तब उसे हल्के दण्ड के रूप में छोड दिया जाना चाहिये एवं अभियोजन के द्वारा अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है को दृष्टिगत रखते हुए दोषी को निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया जाता हैः—

//दण्डादेश//

12. दोषी हितेंद्र सिंह परिहार धारा 34(1)(क) आबाकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड के भुगतान के व्यतिक्रम पर दोषी को 15 दिवस का सादा कारावास पृथक से भुगताया जावे।

13. अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत एवं बंधपत्र भारहीन किये जाते हैं।

14. प्रकरण में धारा 452 दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अंतर्गत जप्तशुदा मुद्देमाल देशी प्लेन मदिरा शराब 20 पाव अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे एवं अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

15. दोषी को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क दी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित,
मुद्रांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(रूपेश कुमार साहू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

(रूपेश कुमार साहू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नागौद, जिला सतना (म0प्र0)